**राजेश कुमार, भा.प्र.से., आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया की अध्यक्षता में दिनांक 08.01.2026 को पूर्वाह्न 10:30 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला पदाधिकारियों के साथ धान अधिप्राप्ति, माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं से संबंधित योजनाओं तथा Flagship Schemes के समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-**

सर्वप्रथम आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया द्वारा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में उपस्थित जिला पदाधिकारी, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज एवं संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पूर्णिया का स्वागत किया गया। तत्पश्चात धान/चावल अधिप्राप्ति एवं CMR की आपूर्ति कार्य तथा माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं से संबंधित योजनाओं की प्रगति आदि की समीक्षा की गई।

**समीक्षोपरांत निम्नांकित निदेश दिये गये :-**

1. धान अधिप्राप्ति के कार्यों की समीक्षा की गई। संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पूर्णिया द्वारा बताया गया कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान अधिप्राप्ति हेतु कुल लक्ष्य के विरूद्ध प्रमंडलाधीन अररिया जिले में 34.57 प्रतिशत, कटिहार जिले में 29.45 प्रतिशत, किशनगंज जिले में 46.55 प्रतिशत एवं पूर्णिया जिले में 39.02 प्रतिशत धान का क्रय किया गया है। स्पष्ट है कि धान अधिप्राप्ति की प्रगति धीमी है। अतः धान अधिप्राप्ति हेतु निम्नांकित बिंदुओं पर त्वरित कार्रवाई की जाय :-
   - किसानों को पैक्स/व्यापार मंडलों के माध्यम से धान बिक्री हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सघन जागरूकता अभियान चलाया जाय।
   - समितियों के पास धान भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु नये गोदामों को चिन्हित कर उनका मैपिंग कराया जाय। तथा आवश्यकतानुसार पंचायत में एक से अधिक क्रय केन्द्रों का संचालन कराकर धान की अधिप्राप्ति कराया जाय।
   - अधिप्राप्ति के लिए किसानों से आवेदन प्राप्त करने हेतु प्रत्येक प्रखंड में आवेदन सुविधा केन्द्र (Facilitation Centre) की स्थापना की गई है। उक्त केन्द्रों का नियमित अनुश्रवण कराते हुए किसानों को सहायता प्रदान की जाय।
   - अधिप्राप्ति कार्य के संपूर्ण प्रक्रिया का प्रभावकारी अनुश्रवण कराया जाय एवं किसी भी स्तर पर त्रुटि पाये जाने पर विधिसम्मत् कार्रवाई की जाय।
   - चावल (CMR) आपूर्ति हेतु राईस मिलों के साथ समितियों का टैगिंग यथाशीघ्र कराई जाय।

2. प्रमंडलाधीन जिलावार एग्री स्टैक (फार्मर रजिस्ट्री) योजना के तहत किसान निबंधन की अद्यतन स्थिति इस प्रकार है :-

| क्र0 | जिला | चिन्हित ग्रामों (Bucketed Villages) की कुल संख्या | फार्मर रजिस्ट्री का कार्य प्रारंभ किये गये ग्रामों की कुल संख्या | e-Kyc की कुल संख्या | निबंधित किसानों की कुल संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अररिया | 719 | 497 | 136675 | 33986 |
| 2 | कटिहार | 1333 | 572 | 100511 | 39147 |
| 3 | किशनगंज | 729 | 410 | 63265 | 22765 |
| 4 | पूर्णिया | 1087 | 770 | 103345 | 37581 |
| **कुल :-** | | **3868** | **2249** | **403796** | **133479** |

उपरोक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभी भी वैसे ग्रामों की संख्या बहुत अधिक है जहाँ फार्मर रजिस्ट्री का कार्य प्रारंभ हीं नहीं किया गया है। अतः चिन्हित सभी ग्रामों (Bucketed Villages) में फार्मर रजिस्ट्री हेतु यथाशीघ्र कार्य प्रारंभ की जाय। फार्मर रजिस्ट्री अंतर्गत किसान सलाहकार एवं कृषि समन्वयक द्वारा सभी किसानों का e-Kyc सत्यापन कराया जाय तथा इसका अनुश्रवण जिला कृषि पदाधिकारी

करेंगे। साथ हीं निम्नांकित प्रपत्र में साप्ताहिक प्रतिवेदन प्रत्येक सोमवार को 5 PM तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे :-

| जिला | लक्ष्य | उपलब्धि | उपलब्धि प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| पूर्णिया | | | |
| कटिहार | | | |
| अररिया | | | |
| किशनगंज | | | |

3. माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रगति यात्रा के दौरान घोषित योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा में जिलावार स्थिति निम्नवत् है :-

| क्र0 | जिला का नाम | प्रगति यात्रा के दौरान उद्घोषित योजनाओं की कुल संख्या | पूर्ण योजनाओं की संख्या | कार्य आरंभ | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पूर्णिया | 9 | 1 | 06 | 06 योजना प्रगति पर है। 02 योजना का कार्य निविदा की प्रक्रिया में है। |
| 2 | कटिहार | 7 | - | 03 | 03 योजना का कार्य प्रगति पर है। शेष योजना का कार्य निविदा की प्रक्रिया में है। |
| 3 | अररिया | 7 | - | 05 | 05 योजना का कार्य प्रगति पर है। शेष योजना का कार्य निविदा की प्रक्रिया में है। |
| 4 | किशनगंज | 7 | - | 07 | सभी 07 योजना का कार्य प्रगति पर है। |

उपरोक्त योजनाओं को निर्धारित Time line के अनुसार अच्छी गुणवत्ता के साथ कार्यान्वित कराने हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी इसका सतत अनुश्रवण करेंगे। तथा योजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

- इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार एवं बिहार सरकार की अतिमहत्वाकांक्षी योजनाओं (Flagship Schemes) का संबंधित जिला पदाधिकारी सतत् अनुश्रवण करेंगे तथा तेजी से कार्य सुनिश्चित करेंगे।

4. जिलावार दिनांक 31.03.2026 तक रिक्त पदों के रोस्टर क्लीयरेंस की समीक्षा की गई। विगत दिनों में अभियान चलाकर रोस्टर क्लीयरेंस की कार्रवाई की गई है। शेष बचे रिक्त पदों का भी रोस्टर क्लीयरेंस का नियमानुसार अनुमोदन करा लिया जाय। तथा रिक्ति की अधियाचना सरकार को भेज दी जाय।

5. **नीलाम पत्र :-** इस संबंध में राजस्व पर्षद का कार्यवाही ज्ञापांक 2462 दिनांक 25.09.2025 तथा प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया का कार्यवाही ज्ञापांक 6644 दिनांक 25.11.2025 संदर्भित है। अभी भी अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। वर्ष 2005 के पुराने मामलों तथा 01 करोड़ से अधिक राशि वाले मामलों की तत्परता से निष्पादित किया जाय। ऐसे मामलों को चिन्हित करते हुए प्रत्येक सप्ताह सुनवाई की जाए। तथा बकायेदार द्वारा राशि जमा नहीं करने की स्थिति में BW निर्गत कर Execution किया जाए। ऐसा देखा जा रहा है कि नीलाम पत्र पदाधिकारी के स्तर से लंबी तिथि देने तथा अनावश्यक प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई के कारण इसमें कोई प्रगति नहीं होती है। जबकि इन सभी मामलों में बकायेदार को उचित अवसर देते हुए पक्ष सुनकर निष्पादित किया जाना है। यानी राशि की वसूली की जानी है। **अतः इस प्रकार के स्थिति के लिए अनावश्यक विलम्ब करने वाले संबंधित निलाम पत्र पदाधिकारी को चिन्हित करते हुए जिला पदाधिकारी कारण पृच्छा करेंगे।**

6. **Land Survey Work :-** सभी जिला पदाधिकारी से अपेक्षा है कि समय-समय पर अपने बंदोबस्त पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा कर लें। तथा यह सुनिश्चित कराया जाय कि प्रक्रियात्मक कार्यों का क्रियान्वयन नियमानुसार हो सके। विशेषकर कैम्प संचालन तथा आम सभा के कार्यों पर निगरानी

रखें। इसका समय-समय पर अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता भी निरीक्षण करते हुए सत्यापन करेंगे।

7. सेवानिवृत्त/मृत कर्मियों के सेवांत लाभों के लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन कराया जाय। 3 माह से अधिक विलम्ब के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जाय।

8. राज्य सरकार के स्तर से विशेषकर गृह विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त पत्रों पर त्वरित कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। इसकी समीक्षा सभी जिला पदाधिकारी अलग से कर लेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त लंबित जाँच अधिकतम 6 सप्ताह में पूरा किया जाए तथा रिपोर्ट भेजा जाय। जिला पदाधिकारी जिला अन्तर्गत लंबित विभागीय कार्यवाही की समीक्षा कर लें तथा 6 माह से अधिक पुराने मामलों में विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी को एक माह के अन्दर सप्ताहिक सुनवाई करते हुए तथा पुरी प्रक्रिया को अपनाते हुए निस्पादन करने का निदेश देंगे। जो विभागीय कार्यवाही एक वर्ष से अधिक समय से लंबित है उनके संचालन पदाधिकारी से कारण पृच्छा करते हुए अपने मंतव्य के साथ उपस्थापित करेंगे।

9. समीक्षा में यह पाया गया है कि विभिन्न कार्यालयों यथा-प्रखंड एवं अंचल कार्यालय आदि में एक बड़ी राशि का अग्रिम वर्षों से लंबित है। इसके अलावे बड़ी संख्या में अभिश्रव भी समायोजन हेतु लंबित है। अतः इस संबंध में जिला अन्तर्गत सभी कार्यालयों के लिए अभियान चलाकर लंबित अग्रिम एवं अभिश्रव का समायोजन की कार्रवाई की जाय।

प्रखंड एवं अंचल कार्यालय के लिए सभी अनुमंडल पदाधिकारी एक माह के अन्दर इस लंबित कार्य को पूर्ण करेंगे।

जिला अन्तर्गत अन्य कार्यालय के संदर्भ में जिला पदाधिकारी समरूप कार्य सुनिश्चित करेंगे। यह सरकारी कार्यालय के वित्तीय अनुशासन एवं प्रबंधन के लिए आवश्यक है।

10. समीक्षा तथा प्राप्त शिकायतों के आधार पर यह पाया गया है कि मुख्य रूप से जिला भू-अर्जन कार्यालय तथा अभिलेखागार कार्यालय से संबंधित काफी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अतः इस पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाय। साथ ही जिला पदाधिकारी अगले माह में अपने जिला भू-अर्जन कार्यालय तथा अभिलेखागार का औचक निरीक्षण समय-समय पर करें। इस बिंदु पर प्रतिवेदन दें कि पंचाट स्वीकृति के उपरांत अनावश्यक रूप से भुगतान के कितने मामले लंबित हैं तथा इस हेतु जिम्मेवार कर्मियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाय।

अंत में बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयी। उपरोक्त बिन्दुओं की समीक्षा अगली माह की जायेगी।

ह0/-
आयुक्त
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया

ज्ञापांक ..... पूर्णिया, दिनांक :.....

प्रतिलिपि :- सभी अपर समाहर्त्ता/उप विकास आयुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/ जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी को को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्णिया, कटिहार, अररिया एवं किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, पूर्णिया, कटिहार, अररिया एवं किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह0/-
आयुक्त
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया

ज्ञापांक ....194.... पूर्णिया, दिनांक ..10-01-2026

प्रतिलिपि :- विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

10/1/26

आयुक्त

पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया